

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 155/2019-20

आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14.11.19

आवेदक/आवेदिका महेश्वर मेलगन्डी, पिता- स्व० धन सिंह मेलगन्डी, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- नन्दपुर, थाना- मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- नन्दपुर, थाना नं०- 85, थाना- मनोहरपुर, खाता नं०- 98, खेसरा नं०- 2883, रकवा- 0.20 ए० क्रेता संध्या अंगरिया, पति- सेरगेया अंगरिया, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- कुमडी, थाना- मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। आवेदिका के आवेदनानुसार बिक्रेता क्रेता के रिश्ते में बहन लगती है।

जमीन का विवरण:-

मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में
नन्दपुर	85	मनोहरपुर	98	2883	0.20 ए०

आवेदक को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.10 ए० को कुल कीमत 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी मनोहरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 22.11.19 तक मांग करें।

अभिलेख दिनांक 22.11.19 को उपस्थापित करें।

Beu
14.11.19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।